लोकमत समाचार

# ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ डॉक्टर करेंगे जनजागृति

## आज 'नो हॉर्न डे', हर महीने की 3 तारीख को मनाया जाएगा

नागपुर। 2 मार्च। लोस सेवा

नागपुर में हर माह की 3 तारीख को 'नो हॉर्न डे' मनाने का फैसला किया गया है. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के प्रस्ताव को विभिन्न संगठनों द्वारा सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ ही शहर के डॉक्टरों ने अभियान के बारे में जनजागृति करने की जिम्मेदारी ली है.

नीरी की पहल और यातायात जनजागृति के क्षेत्र में कार्यरत जनआक्रोश संगठन के सहयोग से ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए नीरी के सभागृह में बैठक का आयोजन किया गया था. इस अवसर पर विशेष रुप से शहर के डॉक्टरों ने हिस्सा लिया. नीरी के संचालक डॉ. अतुल वैद्य, दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान संस्था के कुलगुरु डॉ. राजीव बोरले, आईएमए के अध्यक्ष डॉ. संजय देवतले, डॉ. अर्चना कोठारी, डॉ. सतीश नलगुंडवार, डॉ. रणजीत अंबादे, कान-नाक-गला विशेषज्ञ डॉ. समीर ठाकरे, डॉ. प्रशांत निखाड़े, डॉ. नंदू कोलवाड़कर, जनआक्रोश संगठन के डॉ. अनिल लड्ढा, श्याम भालेराव, रवींद्र कासखेड़ीकर, अशोक करंदीकर, डॉ. प्रवीण लाड, डॉ. आर.डी. कावले, अनिल जोशी प्रमुखता से उपस्थित थे.

अनिल जोशी ने जनआक्रोश संगठन के कार्यों और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण योजना के बारे में जानकारी दी. डॉक्टरों ने शहर में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण और इससे मनुष्य के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्परिणामों पर चिंता व्यक्त की. आईएमए से संलग्नित डॉक्टरों ने भी सड़कों पर अनावश्यक रुप से हॉर्न बजाने के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों की ओर नागरिकों का ध्यानाकर्षण कराने का विश्वास जताया. साथ ही यातायात पुलिस द्वारा ऑडियोमीट्रिक जांच की आवश्यकता पर भी बल दिया. इस दौरान शहर के नागरिकों से हर महीने की तीन तारीख को 'नो हॉर्न डे' का पालन करने का आह्वान किया गया.